23/6 अतः प्रकरणवली प्रार्थी के मूल वाद के लंबित रहते हुए प्रार्थी का मूलवाद विहित है। इसलिए अस्थायी प्रा.पत्र का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रा. नस्तर हेतु कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
दौलतगंज (बाड़मेर)

Scanned by CamScanner